PHYSICSWALLAH LIMITED

Date: December 10, 2025

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 India	**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 India
Scrip Code: 544609	**Symbol: PWL**

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 ("Financial Results")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper clippings containing the publication of Financial Results of the Company. The Financial Results were duly approved by the Board of Directors at its meeting held on Monday, December 08, 2025.

The details of the newspaper publications are as follows:

1. Financial Express (English language) - published on December 10, 2025; and
2. Jansatta (Hindi (vernacular) language) – published on December 10, 2025;

This disclosure will also be hosted on the Company's website viz. https://www.pw.live/investor-relations

You are requested to take the above on record.

Thank you.

Yours sincerely,
For Physicswallah Limited

AJINKYA RAJENDRA JAIN
Digitally signed by AJINKYA RAJENDRA JAIN
Date: 2025.12.10 16:20:46 +05'30'

Ajinkya Jain
Group General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A33261

NHPC proposal of forest land as collateral rejected

JAY MAZOOMDAR
New Delhi, December 9

THE ENVIRONMENT MINISTRY has turned down an NHPC proposal to use assets located on forest land as collateral to raise funds for the Subansiri Lower hydel project which is facing an over 300% cost escalation. The project is located on the Arunachal Pradesh-Assam border.

Official records show that "NHPC requested for an NoC for using their assets located on the forest land for collateral purpose for raising funds from the financial institutions to meet the capital expenditure of Lower Subansiri hydroelectric Project" and the Arunachal Pradesh government, subsequently, sought a clarification from the ministry on the matter.

The environment ministry, examined NHPC's "proposal to mortgage assets on diverted forest land" and ruled that it is "not tenable" under the provisions of the Forest Conservation Act now known as the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

NOT TENABLE UNDER FOREST ACT

- The govt said proposal was not tenable under the provisions of the Forest Conservation Act
- Arunachal govt sought a clarification from the ministry

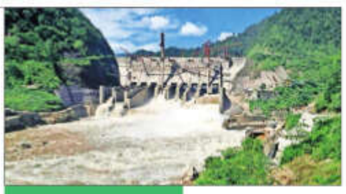

- It is located on the Arunachal Pradesh-Assam border
- Project is already facing over 300% cost escalation

The ministry's October 10 letter to the Arunachal Pradesh government said that "a collateral purpose refers to a secondary purpose beyond the principal object for which the forest land was approved for non-forestry use" under the Act.

Underlining that the "ownership and title" of the diverted forest land "remain with the forest department", the Ministry referred to condition No. 13 of the 2004 approval, which specified "the forest shall not be used for any purpose other than that specified under the proposal".

"Mortgaging the land or assets created thereon for financial gain constitutes use for acollateral purpose and is, therefore, beyond the scope of approval granted under the Adhiniyam," the ministry said.

Asked about its impact on the Subansiri Lower project and if NHPC sought similar NoCs from any other state government, NHPC's executive director (Subansiri) Rajendra Prasad said he was not authorised to comment on the matter.

Requests for response by NHPC Chairman and MD Bhupender Gupta and the Arunachal Pradesh forest department did not elicit a response.

This March, the NHPC board cleared a borrowing plan for raising of debt up to ₹6,300 crore during FY25-26 through secured, redeemable, taxable, non-cumulative, non-convertible corporate bonds, term loans or external commercial borrowings, in suitable tranches and on a private placement basis.

On August 29, a revised borrowing plan to raise up to ₹10,000 crore was approved. While the first four of the eight units of the 2000-MW Subansiri Lower HEP are expected to be operational this month, a commercial operation date (COD) is yet to be finalised.

In a statement last week, NHPC said the final four units are scheduled for sequential connection during 2026–27.

On December 2, NHPC announced the successful synchronization of one of the project's eight 250-MW units with the national power grid. The commissioning process commenced with two units which went on mechanical run on October 24 and November 6, respectively.

Temasek chair meets FM, says investments in India to expand

FE BUREAU
New Delhi, December 9

FINANCE MINISTER NIRMALA Sitharaman met Singapore sovereign wealth fund Temasek chairman Teo Chee Hean on Tuesday to review India's investment landscape, discuss its $50-billion India exposure and key growth sectors.

Hean commended the wide-ranging reforms undertaken by the Indian government over the past decade, noting that these measures have strengthened the country's macroeconomic fundamentals and boosted investor confidence.

During their interaction, Sitharaman and Hean explored potential investment opportunities across sectors such as financial services, consumer markets, healthcare innovation, technology, manufacturing, and renewable energy. "Mr. Hean informed the Union Finance Minister that while Temasek's cumulative exposure to India stands at $50 billion, they look forward to expanding their India footprint over the next few years, as a win-win opportunity for both, with focus on #FinancialServices, consumer markets, healthcare innovation, #technology, #manufacturing, and #RenewableEnergy among others," Finance minister said in a post on 'X'.

Sitharaman & Hean explored potential investment opportunities across sectors such as financial services

Temasek is Singapore's state-owned global investment company. As of March 31, 2025, its net portfolio value stood at S$434 billion (mark-to-market value S$469 billion), making it one of the world's largest sovereign investors.

NGT imposes ₹5K fine for burning of waste in Delhi

ACTING ON THE directions of the National Green Tribunal (NGT), the Delhi government has authorised field-level officers to impose a fine of ₹5,000 on anyone found burning garbage, leaves, plastic, rubber or other waste materials in the open, officials said on Tuesday.

The order aims to curb one of the most widespread sources of local air pollution in the capital.

The NGT had also specified that violators —would be liable to pay compensation under Section 15 of the National Green Tribunal Act, 2010. **PTI**

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
Address: SCO 37 & 38, First Floor, Urban Estate, Phase-II, Rajpura Road, Patiala- 147002 (Punjab) CIN U01403PB2014PTC038826
Phone No. 0175-5000735, Email ID: purchase@baanimilk.com

INVITATION FOR BID (IFB), LOCAL COMPETITIVE BIDDING (LCB)

Baani Milk Producer Company Limited, Patiala (Punjab) has received financing for "Strengthening Milk Procurement Infrastructure" under Component B of NPDD (Dairying through Co-Operative-JICA Assisted Project). Baani Milk Producer Company Limited, a Participating Institute of the project now intends to apply part of proceeds of this credit payment for the goods and services for which this tender is issued. Following Bid is invited from eligible bidders as specified in the bid document:

S. No.	Description of ITEMS & Services with Bid Ref. Number	Event Start/ Close Date	Bid Submitting Platform	EMD
1.	Supply of **High Pressure Jet Washer** IFB No : BMPCL:JICA:OT:DTC:2025-26:JET WASHER	10 December 2025 / 23 December 2025	https://events.ncdfiemarket.com/bidder/	Rs. 1.62 Lakh
2.	Supply of **Flying Insect Killer Machine** BMPCL:JICA:OT:DTC:2025-26:FLYING INSECT KILLER	10 December 2025 / 23 December 2025	https://events.ncdfiemarket.com/bidder/	Rs. 1.08 Lakh

For further details, pertaining to IFB and for downloading the bid document, please visit the websites: https://www.ncdfiemarket.com/index.php/auctions-2/#tab-44753 or https://baanimilk.com/tenders
Please note: Any corrigendum/modification etc. will be posted only on the above website.

CBI books Anil Ambani's son in fraud case

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, December 9

THE CBI CONDUCTED searches at the residence of Jai Anmol Anil Ambani, the son of industrialist Anil Ambani, on Tuesday after registering an FIR against him and Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) for allegedly cheating the Union Bank of India of ₹228 crore, officials said.

The CBI acted on a complaint from the bank (erstwhile Andhra Bank) against Reliance Home Finance, the then director Jai Anmol and ex-CEO Ravindra Sharad Sudhakar, alleging that the company did not repay the credit availed from the bank that turned the account into a non-performing asset in 2019, they said.

Queries for reaction from the Ambanis' spokesperson went unanswered.

"The CBI obtained search warrants from the court of Special Judge for CBI, Mumbai and has commenced searches at two official premises of Reliance Home Finance Ltd., residential premises of Jai Anmol Ambani, son of Anil Ambani, the then Director of Reliance Home Finance Ltd. and residential premises of Ravindra Sudhalkar, Ex-CEO and Whole Time Director of RHFL, all at Mumbai on 09.12.2025," the CBI spokesperson said in a statement.

CBI teams reached the seventh floor of the Sea Wind building, the residence of Anil Ambani in Cuffe Parade, Mumbai, this morning from where several incriminating documents were taken into possession during searches, officials said. Reliance Home Finance had availed loans to the tune of ₹5,572.35 crore from 18 banks, financial institutions, non-banking financial companies and corporate bodies including the Union Bank of India, she said. The case pertains to credit facilities worth ₹450 crore availed by the company from Andhra Bank's SCF branch in Mumbai for business needs, the complaint stated.

The bank had laid down the condition to maintain financial discipline, including timely repayment, service of interest and other charges and submission of position of security and other required papers in time and routing the entire sale proceeds through the bank account. The company failed to pay the instalments to the bank and hence, the said account was classified as a non-performing asset (NPA) on September 30, 2019.

PHYSICSWALLAH LIMITED
Registered and Corporate Office: Plot No. B-8, Tower A, 101-119, Noida One, Sector – 62, Gautam Buddha Nagar, Dadri, Noida 201 309, Uttar Pradesh, India; **Tel.:** +91 9289926531; **E-mail:** investorsrelation@pw.live;
Website: www.pw.live; **Corporate Identity Number:** U80900UP2020PLC129223

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025 OF FINANCIAL YEAR 2025-26

The Board of Directors at its meeting held on December 08, 2025, approved the unaudited financial results of the Company (**"Financial Results"**), for the Second Quarter and Half Year ended September 30, 2025 of financial year 2025-26, both on Standalone & Consolidated basis.
The Financial Results along with the Limited Review Report (Standalone & Consolidated), are available on the Company's website at ***www.pw.live*** and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, at ***www.bseindia.com*** and ***www.nseindia.com***, respectively.
The Financial Results can also be accessed by scanning QR code.

By the order of the Board of Directors
For **Physicswallah Limited**
Alakh Pandey
Whole-Time Director and CEO
DIN: 08755719

Date: December 08, 2025
Place: Noida

Note: *The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.*

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमारा संकल्प
आपणो अग्रणी विकसित राजस्थान

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान बजट
2026-27

राजस्थान संवाद

10 जनवरी, 2026 तक आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

सुझाव https://finance.rajasthan.gov.in
या इस QR Code के जरिये दिए जा सकते है।

"विकसित राजथान @2047 की सोच के साथ आप अपने अमूल्य सुझाव देकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि हेतु अपना योगदान दें।"
- दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

खबर कोना

एलएनजेपी अस्पताल में अत्याधुनिक हेपेटाइटिस उपचार केंद्र शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक आदर्श हेपेटाइटिस उपचार केंद्र की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डाक्टर बीएल चौधरी और काय चिकित्सा विभाग की प्रमुख डाक्टर अनुराधा ने किया। यह केंद्र 2030 तक भारत में वायरल हेपेटाइटिस खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। केंद्र में हेपेटाइटिस-बी और सी के संदिग्ध मामलों की जांच, इलाज और जटिल मरीजों के लिए विशेष उपचार उपलब्ध होगा। दूसरे अस्पतालों से रेफर हुए मामलों का भी यहां प्रबंधन किया जाएगा। केंद्र में सभी मरीजों को मुफ्त जांच व उपचार मिलेगा। दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के राज्यों के मरीजों को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।

स्वामी चैतन्यानंद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को कथित तौर पर फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट के इस्तेमाल करने से जुड़े मामले में मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरस्वती को आठ दिसंबर को दी गई एक दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार के समक्ष पेश किया गया। चैतन्यानंद वर्तमान में एक निजी संस्थान की 16 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। चैतन्यानंद को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। वह यौन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद हैं, जहां से उसे सोमवार को एक दिन की हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा गया था। चैतन्यानंद सरस्वती कई महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपों के चलते पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।

अगले मानसून से पहले तैयार होगा कंझावला-कराला नाला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

पीडब्लूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को कराला-कंझावला क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 21 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें गुरु गोलवलकर मार्ग (रोड नंबर-3) पर तूफानी जल निकासी (नाला) और फुटपाथों के पुनर्विकास का काम मुख्य रूप से शामिल है। यह परियोजनाएं बाहरी दिल्ली में बरसों से चली आ रही जलभराव और अव्यवस्था की समस्याओं का स्थायी समाधान साबित होंगी। मंत्री ने बताया कि यह कार्य जैन नगर से कंझावला चौक होते हुए मुंगेशपुर नाले तक पूरे मार्ग पर किया जाएगा। पीडब्लूडी लगभग 10 किलोमीटर लंबे इस हिस्से (दोनों ओर 5-5 किमी) में नया आरसीसी नाला बनाएगा, फुटपाथों को सुरक्षित व लगातार जोड़ेगा, सड़क किनारों की मरम्मत करेगा और पूरे गलियारे को उन्नत स्वरूप देगा।

बारह मंजिला इमारत में होगा डीटीसी का नया मुख्यालय

207 करोड़ रुपए होंगे खर्च, डीएसआइआइडीसी करेगा तैयार, दिल्ली परिवहन निगम के साथ हुआ समझौता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में जल्द ही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को एक आधुनिक, ऊर्जा-कुशल और अत्याधुनिक मुख्यालय मिलने जा रहा है। मंगलवार को आइटीओ स्थित आइपी बस डिपो पर डीटीसी और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआइआइडीसी) के बीच इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि यह परियोजना राजधानी की परिवहन संरचना को आधुनिक स्वरूप देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार की महत्त्वपूर्ण पहल है। लगभग 207 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया मुख्यालय कुल 26,015.78 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार होगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा भवन पुराना और सीमित हो चुका था, जो 1958 में बनी दो मंजिला इमारत है, जो 2023 की बाढ़ में जलमग्न हो गई थी।।

परियोजना में परिसर को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है। 12,234.54 वर्ग मीटर क्षेत्र परिचालन कार्यों के लिए, 6,158 वर्ग मीटर में मुख्यालय भवन और 9,681.71 वर्ग मीटर हरित पट्टी बनाई जाएगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 20 फीसद है। इसके अतिरिक्त, परियोजना का 50 फीसद क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग में लाया जाएगा, जिससे डीटीसी को अतिरिक्त आय होगी और परियोजना की आर्थिक व्यवहारिकता सुनिश्चित होगी। नई इमारत में लगभग 200 बसों की पार्किंग और 200 से अधिक कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग की सुविधा होगी। भवन में सौर ऊर्जा पैनल, सीवेज उपचार संयंत्र, वर्षा जल संचयन और आरओ प्लांट जैसी टिकाऊ सुविधाएं भी शामिल होंगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि इस परियोजना को ढाई वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 मंजिला अत्याधुनिक भवन कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश-द्वार और सुविधाजनक परिचालन व्यवस्था प्रदान करेगा। इसके अलावा यह भवन राजधानी में बढ़ रहे इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम को भी समर्थन देगा।

क्या होगी विशेषता

कुल क्षेत्रफल	26,015.78 वर्ग मीटर
परिचालन क्षेत्र	12,234.54 वर्ग मीटर
मुख्यालय भवन क्षेत्र	6,158 वर्ग मीटर
हरित क्षेत्र	9,681.71 वर्ग मीटर (20% कुल क्षेत्र)
मंजिलें	12
कुल लागत	207 करोड़ रुपए
पार्किंग	200 बस 200 से अधिक कारें (बेसमेंट)
सतत सुविधाएं	सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन, आरओ प्लांट, ऊर्जा दक्ष डिजाइन
योजना समयसीमा	ढाई वर्ष

मौजूदा भवन पुराना और सीमित हो चुका था, यह 1958 में बनी दो मंजिला इमारत है, जो 2023 की बाढ़ में जलमग्न हो गई थी।

झपटमारी के आरोप में एमबीए डिग्री धारक द्वारका से गिरफ्तार

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (संवाददाता)।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका से झपटमारी के आरोप में एमबीए डिग्रीधारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी के सात मोबाइल फोन और एक स्कूटर जब्त किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पालम निवासी आरोपी प्रदीप कुमार मलिक उर्फ राहुल ने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन वह वर्तमान में बेरोजगार और नशे का आदी है। उन्होंने बताया कि डीडीए पार्क में रेलवे लाइन के पास झपटमार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपायुक्त के मुताबिक द्वारका दक्षिण इलाके में स्कूटर सवार एक अपराधी द्वारा झपटमारी की कई घटनाएं सामने आई थीं। शिकायत के बाद 300 से अधिक सीसीटीवी और अपराधी का पता लगाने के लिए स्थानीय मुखबिरों की मदद ली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेलवे लाइन के पास एक संदिग्ध को रोका। उन्होंने बताया कि रुकने का इशारा करने पर संदिग्ध ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान मलिक ने बताया कि उसने डाबरी इलाके से एक स्कूटर की चोरी की थी और छीने गए मोबाइल फोन उसकी डिक्की में छिपा दिए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर चोरी के स्कूटर के अलावा द्वारका दक्षिण और पालम गांव में हुई झपटमारी की घटनाओं से जुड़े पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए।

प्रदर्शन जंतर मंतर पर मंगलवार को हाथियों के साथ क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन करते पेटा इंडिया के सदस्य।

वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार

इस माह पहली बार हवा खराब श्रेणी में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में कई दिनों बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में कुछ अंकों का सुधार हुआ है, जिससे वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब श्रेणी' से खिसक कर 'खराब श्रेणी' में दर्ज की गई है। सुबह दस बजे वायु गुणवत्ता 290 रही, जोकि शाम चार बजे 282 व शाम सात बजे कुछ अंकों के सुधार के साथ 277 दर्ज की गई। वहीं सुबह राजधानी के 18 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब श्रेणी' में दर्ज की गई थी, जिनकी संख्या शाम सात बजे घटकर 9 रह गई। जबकि एकमात्र निगरानी केंद्र आइजीआइ एअरपोर्ट पर वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में 196 दर्ज की गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एप 'समीर' के अनुसार, शाम सात बजे जिन निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' बनी हुई थी, उनमें बवाना में 326, जहांगीरपुरी 318, चांदनी चौक 352, मुंडका 310, नेहरू नगर 305, पूसा 312, रोहिणी 306, विवेक विहार 316 व वजीरपुर में 312 दर्ज की गई। जबकि 40 में से 30 केंद्र ऐसे रहे जहां वायु गुणवत्ता 'खराब श्रेणी' में यानी 300-400 के बीच दर्ज की गई है। जबकि बात अगर दिल्ली से सटे इलाकों की करें तो 'समीर' एप के अनुसार, शाम सात बजे नोएडा की वायु गुणवत्ता 282 व ग्रेटर नोएडा की 251 दर्ज की गई। जबकि गुरुग्राम की 252, फरीदाबाद की 195 व गाजियाबाद की 282 वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। एकमात्र फरीदाबाद ही है जहां वायु गुणवत्ता 'मध्यम श्रेणी' में बनी हुई है जबकि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में अभी भी वायु गुणवत्ता 'खराब श्रेणी' में है।

दिसंबर के नौ दिनों में 9 दिसंबर को वायु गुणवत्ता 'खराब श्रेणी' में रही अन्यथा अन्य आठ दिनों तक यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई थी। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, सर्वाधिक प्रदूषित दिन 2 दिसंबर को दर्ज किया गया जब वायु गुणवत्ता 372 दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली में मंगलवार को सड़कों पर लगाए गए जल छिड़काव प्रणाली के बीच गुजरते लोग।

तीन दिनों में बढ़ सकती है ठंड, तापमान में गिरावट का अनुमान

आइएमडी ने तीन दिनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में मौसम में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, क्षेत्र में तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जबकि दोपहर में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 20-25 किलोमीटर प्रतिघंटा तक दर्ज की जा सकती है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 अधिक 25.5 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। पालम केंद्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 कम 23.1 डिग्री रहा, वहीं आयानगर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री तक पहुंच गया। एनसीआर के गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

मोबाइल छीनने के विरोध पर युवक को मार डाला; चार नाबालिग पकड़े गए

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (संवाददाता)।

उत्तरी दिल्ली में मोबाइल फोन छीनने का विरोध करने पर 18 वर्षीय युवक आर्यन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों सहित चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार, 30 नवंबर और एक दिसंबर की दरम्यानी रात स्वामी नारायण मार्ग पर घायल अवस्था में मिले आर्यन को दीप चंद बंधु अस्पताल और बाद में आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन आर्यन की मौत के बाद इसे हत्या की धारा 103(1) में परिवर्तित कर दिया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण पुलिस ने इलाके के 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चार संदिग्धों को शास्त्री नगर की ओर भागते हुए देखा गया, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।

जांच में सामने आया कि दो संदिग्धों ने 30 नवंबर की रात कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक स्कूटर चोरी किया था और अगले दिन शास्त्री नगर में झपटमारी की थी। पुलिस ने 4 दिसंबर को आरोपी रोशन (19 वर्षीय) को शास्त्री नगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया स्कूटर भी बरामद किया गया। पूछताछ में रोशन ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर आर्यन का मोबाइल फोन छीनने का प्रयास करने और विरोध करने पर उसे चाकू मारने की बात कबूल की।

सुल्तानपुरी में युवक की चाकू गोदकर हत्या, दो नाबालिग हिरासत में

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (संवाददाता)।

सुल्तानपुरी इलाके में एक युवक की ताबड़तोड़ चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक के परिवार का कहना है कि वह दोस्तों के लिए खाना लेकर निकला था और वापस नहीं लौटा। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस ने दो नाबालिगों को पकड़ा है।

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि 20 वर्षीय सुमित के घर पर सोमवार को एक कार्यक्रम था। इसमें अपने दोस्तों के लिए भी उसने खाना बनवाया था। देर रात दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर वह निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुमित अपने माता-पिता के साथ सुल्तानपुरी के एबी ब्लाक में रहता था। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि घर पर ही उन्होंने एक छोटा कार्यक्रम रखा था, जिसमें सुमित ने कुछ दोस्तों के लिए खाना बनवाया था। जो दोस्त इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उनके लिए वह खाना लेकर बाहर गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि एबी ब्लाक स्थित एक निजी अस्पताल के पास उनके बेटे का शव खून से लथपथ पड़ा है। वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे जहां उसने बेटे को खून से लथपथ पाया। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 10वीं पास था और नौकरी की तलाश कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। फोरेंसिक व अपराध की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं।

दुखद | लाल किला विस्फोट का एक महीना बीता

दर्द भुलाने को संघर्ष कर रहे पीड़ित परिवार

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

राजधानी में 10 नवंबर को लाल किले के निकट हुए बम विस्फोट की भयानक त्रासदी के एक महीने बाद भी पीड़ित परिवार अपने गम से उबर नहीं पाए हैं। शाम 6:52 बजे हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए थे। विस्फोट ने कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए थे और घटनास्थल पर बिखरा मलबा और क्षत-विक्षत शव नजर आए।

मारे गए लोगों में चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में काम करने वाले अमर कटारिया भी शामिल थे। उनके तीन साल के बेटे को पिता की याद में लगातार दरवाजे की ओर देखने की आदत थी। अब भी बच्चा नहीं समझ पाया कि उसके पिता कभी लौटकर नहीं आएंगे। हालांकि, अब वह दरवाजे पर इंतजार नहीं करता, फिर भी उसे नहीं पता कि उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। उसे लगता है कि वह कहीं बाहर हैं और जल्द ही लौट आएंगे। अमर की पत्नी कृति अभी भी गहरी खामोशी में डूबी हुई हैं और घर से बाहर नहीं निकल पाईं। परिवार के मित्र स्वदेश सेठी ने सरकार से कृति को नौकरी दिलाने में मदद करने का अनुरोध किया ताकि उनका ध्यान दुख से हटे और परिवार आर्थिक रूप से स्थिर हो सके।

एक अन्य पीड़ित नोमान (23) उत्तर प्रदेश के झिंझाना से दिल्ली आया था, जो विस्फोट में मारा गया। उसका बड़ा भाई साहिल किडनी रोग से पीड़ित है और अब भी उसके मौत की खबर से अनजान है। परिवार को डर है कि साहिल सदमे में न चला जाए।

शाहदरा के अंकुश शर्मा, जो विस्फोट में घायल हुए और अपनी एक आंख व एक कान की क्षमता खो बैठे, अब भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनके पारिवारिक मित्र प्रदीप कुमार ने बताया कि आईने में अपनी परछाई देखकर उन्हें सदमा लगता है। तीस दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह महीना बिना सुबह वाली लंबी रात जैसा रहा है।

फाइल फोटो

विस्फोट में मारे गए नोमान का बड़ा भाई साहिल किडनी रोग से पीड़ित है और अब भी उसकी मौत की खबर से अनजान है। परिवार को डर है कि साहिल सदमे में न चला जाए।

फिज़िक्सवाला लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर बी-8, टॉवर ए, 101-119, नोएडा वन, सेक्टर - 62, गौतम बुद्ध नगर, दादरी, नोएडा 201 309, उत्तर प्रदेश, भारत, फोन: +91 9289926531, ई-मेल: investorsrelation@pw.live;
वेबसाइट: www.pw.live; कॉरपोरेट पहचान संख्या: U80900UP2020PLC129223

वित्तीय वर्ष 2025-26 की 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलोन एवं समेकित) का विवरण

निदेशक मंडल ने 08 दिसम्बर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2025-26 की 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणाम") को स्टैण्डएलोन एवं समेकित दोनों आधार पर अनुमोदित किया।
सीमित समीक्षा रिपोर्ट (स्टैण्डएलोन एवं समेकित) सहित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.pw.live और स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं।
वित्तीय परिणामों को क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से फिज़िक्सवाला लिमिटेड के लिए
अलख पांडे
पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ
डीआईएन: 08755719

दिनांक: 08 दिसंबर, 2025
स्थान: नोएडा

नोट: उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।